रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू0 / ए0 पी0.........
लाइसेंस नं0 डब्ल्यू0 पी0–.........
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट विदआउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 3 जून, 2006 ई0 (ज्येष्ठ 13, 1928 शक संवत्)

भाग–8

सरकारी कागज–पत्र, दबाई हुई रूई की गांठो का विवरण–पत्र, जन्म–मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आकड़े, फसल ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार–भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दिनांक.................................

सं0 ....–उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) की धारा 10 सपठित धारा 37 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह 'क' और 'ख') सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता हैः–

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (समूह 'क' और 'ख') संशोधित सेवा विनियमावली–2014

भाग–एक–सामान्य

1–– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (समूह–'क' और 'ख') संशोधित सेवा विनियमावली 2012 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

भाग—छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

21——ज्येष्ठता——(5) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में शासन द्वारा समय—समय पर किये गये संशोधन यथावत् लागू होंगे।

(6) भर्ती का स्रोत — सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती उन स्रोतों से की जायेगी जो परिशिष्ट ''ख'' के स्तम्भ—3 में सुसंगत पदों के सामने विनिर्दिष्ट **है। सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली—1974 एवं समय—समय पर इस नियमावली में शासन द्वारा किये गये संशोधन यथावत् लागू माना जायेगा।**

भाग सात—वेतन आदि

24——दक्षतारोक समाप्त होने के कारण इस प्रस्तर को नियमावली से हटाया गया।

भाग 8—अन्य उपबन्ध

26——अन्य विषयों का विनियमन——ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे तथा निम्न नियम भी लागू होंगे—

(1) यू.पी. फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, वाल्यूम 2, भाग 2 से 4 में उल्लिखित फण्डामेन्टल तथा सब्सी डियरी रूल्स।

(2) सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स ।

(3) उत्तर प्रदेश गर्वन्मेन्ट सर्वेन्ट्स कन्डेक्ट रूल्स 1956 ।

(4) उत्तर प्रदेश फाइेन्शियल हैण्ड बुक, वाल्यूम—3 में उल्लिखित यात्रा एवं दैनिक भत्ता संबंधी रूल्स।

(5) उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल हैण्ड बुक वाल्यूम—5

(6) सिविल सर्विस रेगूलेशन्स।

(7) यू.पी. रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूलस, 1961 ।

(8) यू.पी. न्यू फैमिली पेंशन रूलस 1965 ।

(9) यू.पी. जनरल प्राविडेन्ट फण्ड रूलस 1935 ।

(10) यू.पी. गर्वन्मेन्ट मेडिकल अटेन्डेन्ट रूल्स।

(11) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली 1995

(12) यू.पी. रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स मेडिकल अटेन्डैन्ट रूल्स।

(13) बोर्ड अधिनियम में दी गयी परिभाषायें इस विनियमावली के लिये भी यथावत् प्रयुक्त होंगी।

(14) वेतन व भत्तों के मामलों में बोर्ड के कर्मचारी उस वेतनक्रम में अपना वेतन पायेंगे, जो उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरणिका में स्वीकृत होंगे, परन्तु जब वेतनक्रमों का शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये पुर्नरीक्षण किया जायेगा तो बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुनरीक्षित वेतनक्रम उसी प्रकार उसी तिथि से स्वमेव देय होंगे जिस प्रकार समान स्तर व प्रारूप के पदों पर नियुक्त राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनक्रम देय होंगे।

(15) उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत शासनादेशानुसार मंहगाई भत्ता, आवास, किराया भत्ता व अन्य सुविधायें जो राज्य कर्मचारियों को देय है तथा शासन के आदेशानुसार जो सुविधायें राज्य कर्मचारियों को समय–समय पर देय होंगी वे सभी सुविधायें बोर्ड के कर्मचारियों को भी उनके पदों व स्तर के अनुरूप समान रूप से स्वमेय देय होंगी।

(16) सरकारी सेवक द्वारा त्याग–पत्र की नियमावली कार्मिक अनुभाग–1 सं0–13/3/99–क–1–2000 दिनांक 26.06.2000 एवं समय–समय पर संशोधन यथावत् लागू होगा।